अधिष्ठाता

कार्यालय अतिथि गृह
श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय)
जोबनेर 303329, जिला – जयपुर (राजस्थान)
फोन नं. 01425–254022(का.)
E-Mail ID: dean.skncoa@sknau.ac.in

क्रमांकः एफ.( )/खुली निविदा/श्रीकनकृमवि/2024/986 दिनांकः 2/8/24

खुली निविदा सूचना

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, के अतिथिगृह जोबनेर में ठहरने वाले अतिथियो एवं अतिथिगृह का रखरखाव करने हेतु श्रमिको की आपूर्ति ठेकेदारी पे चलाने हेतु खुली निविदा निम्न विवरणानुसार आमंत्रित की जाती है। पंजीकृत सेवा प्रदाता संस्था/फर्म/कम्पनी/सोसायटी निविदा दे सकते हैं। निविदा प्रपत्र इस कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है अथवा निविदा प्रपत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.sknau.ac.in एवं sppp.rajasthan.gov.in वेबसाईट पर देखा व डाउनलोड़ किया जा सकता है।

क्र. सं.	विवरण	अनुमानित राशि (₹)	निविदा शुल्क (₹)	बोली प्रतिभूति राशि (₹)	निविदा प्रपत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय	निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि एवं समय
1.	अतिथिगृह जोबनेर में ठहरने वाले अतिथियो एवं अतिथिगृह का रखरखाव करने हेतु।	5.50 लाख	500.00	11000.00	13.08.2024 प्रातः 11.00 बजे तक	13.08.2024 दोपहर 12.30 बजे

निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रूपये 500/– एवं बोली प्रतिभूति राशि रु. 11000/– (2.0 प्रतिशत) डिमाण्ड ड्राफ्ट (डी.डी.) के रूप में जो कि अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर के पक्ष में देय हो दिनांक 13.08.2024 को प्रातः 11 बजे तक अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर के कार्यालय में भौतिक रूप से जमा करवाना आवश्यक है। इस निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

अधिष्ठाता

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर लेख है कि वह स्वयं/प्रतिनिधि निविदा खोलने के समय उपस्थित होने का श्रम करे।
2. प्रभारी, सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर लेख है कि इस खुली निविदा को sppp.rajasthan.gov.in एवं विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.sknau.ac.in पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करावे।
3. संयोजक/सदस्य, निविदा समिति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर।
4. आहरण एवं वितरण अधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर।

[illegible]

[illegible]

5. नोटिस बोर्ड, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर।

अधिष्ठाता

अधिष्ठाता

कार्यालय अतिथि गृह
श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय)
जोबनेर 303329, जिला – जयपुर (राजस्थान)
फोन नं. 01425–254022(का.)
E-Mail ID: dean.skncoa@sknau.ac.in

क्रमांकः एफ.( )/खुली निविदा/श्रीकनकृमवि/2024/986 दिनांकः 2/8/24

तकनीकी निविदा प्रपत्र 'अ'

कार्य की अनुमानित लागत – रूपये 5.50 लाख

बोली प्रतिभूति राशि – रूपये 11000/– (2.0 प्रतिशत)

निविदा प्रपत्र शुल्क – रूपये 500/–

निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथि – 13.08.2024 समय – प्रातः 11.00 बजे तक

अतिथिगृह जोबनेर में ठहरने वाले अतिथियो एवं अतिथिगृह का रखरखाव करने हेतु।

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम .....
2. डाक का पता, दूरभाष नम्बर, मोबाईल नम्बर व ई–मेल सहित .....
   .....
   .....
   .....
3. कार्यालय का पता, दूरभाष नम्बर, सम्पर्क सूत्र व्यक्ति का नाम एवं मोबाईल नम्बर.....
   .....
   .....
4. किसको संबोधित किया गया – अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर
5. खुली निविदा सूचना संदर्भएफ.( )/खुली निविदा/अतिथिगृह/श्रीकनकृमवि/2024/..... दिनांक.....
6. खुली निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रूपये 500/– एवं बोली प्रतिभूति राशि रु. 11000/– (2.0 प्रतिशत) डिमाण्ड ड्राफ्ट (डी.डी.) के रूप में जो कि अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर के पक्ष में देय हो, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर में भौतिक रूप से जमा करा दी है।

7. हम अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर द्वारा जारी की गई खुली निविदा सूचना **संख्या** ..... **दिनांक** ..... में वर्णित शर्तो से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।

8. खुली निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न **प्रपत्र 'ब'** में दर्शाये गये कार्य संबंधी दरें सभी करों व आनुशंगिक प्रभारो सहित अंकित है।

9. महाविद्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार निविदा कार्य में कमी या वृद्धि की जा सकती है।

10. **अतिथिगृह जोबनेर में ठहरने वाले अतिथियो एवं अतिथिगृह का रखरखाव करने हेतु ठेकेदारी पे चलाने हेतु प्रपत्र 'ब'** में दी गई दरें एक वर्ष के लिए हैं जिसे आपसी सहमति से सामान्य वित्तीय एंव लेखा नियम एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अनुसार 3 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है।

11. सेवा प्रदाता संस्था/फर्म/कम्पनी/सोसायटी का पंजीकरण प्रमाणपत्र सलंग्न है।

12. खुली निविदा प्रपत्र के साथ जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र, जीएसटी चुकता प्रमाण पत्र एवं पैन कार्ड की प्रति संलग्न है, जो तकनीकी बिड खोलने की तिथि को वैध है।

13. संलग्न प्रपत्र ''र'' में दिए गए सारे कार्यों को समझ लिया है एवं कार्य करने के लिए समर्थतता दर्शाते है।

14. टर्न ओवर प्रमाण पत्र **(प्रपत्र 'स')** संलग्न है।

15. पूर्व में समान प्रवृत्ति के कार्य के लिए किसी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं होने का स्वघोषणा प्रमाण पत्र **(प्रपत्र 'द')** संलग्न है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

अधिष्ठाता

कार्यालय अतिथि गृह
श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय)
जोबनेर 303329, जिला – जयपुर (राजस्थान)
फोन नं. 01425–254022(का.)
E-Mail ID: dean.skncoa@sknau.ac.in

क्रमांकः एफ.( )/खुली निविदा/अतिथिगृह/श्रीकनकृमवि/2024/ दिनांकः

अतिथिगृह जोबनेर में ठहरने वाले अतिथियो एवं अतिथिगृह का रखरखाव करने हेतु।

अतिथिगृह जोबनेर में ठहरने वाले अतिथियो एवं अतिथिगृह का रखरखाव करने हेतु ठेकेदारी पे चलाने को ठेकेदारी पे चलाने आपूर्ति करने हेतु खुली निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। पंजीकृत सेवा प्रदाता संस्था/फर्म/कम्पनी/सोसायटी निविदा भर सकते हैं। निविदा प्रपत्र इस कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है अथवा निविदा प्रपत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.sknau.ac.in एवं sppp.rajasthan.gov.in वेबसाईट पर देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्र, निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रूपये 500/– एवं बोली प्रतिभूति राशि रु. 11000/– (2.0 प्रतिशत) डिमाण्ड ड्राफ्ट (डी.डी.) के रूप में दिनांक 13.08.2024 को प्रातः 11.00 बजे तक अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर में भौतिक रूप से जमा करवाना आवश्यक है। डिमाण्ड ड्राफ्ट (डी.डी.) अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर के पक्ष में देय होगा।

A. आवेदन के लिए वांछित पात्रता

1. निविदादाता संस्था/फर्म/कम्पनी/सोसाइटी का विगत तीन वर्षो का औसत टर्न ओवर रूपये 7.00 लाख या अधिक होना आवश्यक है। साक्ष्य हेतु बिड़ दाता फर्म द्वारा वार्षिक टर्न ओवर प्रमाण पत्र (प्रपत्र –'स') अंकेक्षक/सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित संलग्न करे।
2. आवेदक को पंजीकृत कार्यालय/शाखा का पूर्ण पता, दूरभाष नम्बर, ई–मेल का विवरण देना अनिवार्य है।
3. आवेदक का राजस्थान में पंजीकृत कार्यालय होना अनिवार्य है।

B. आवेदन की विधि तथा प्रतिभूति राशि रु. 11000/– (2.0 प्रतिशत) जमा कराना

निविदा प्रपत्र, निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रूपये 500/– एवं बोली प्रतिभूति राशि रु. 11000/– (2.0 प्रतिशत) डिमाण्ड ड्राफ्ट (डी.डी.) के रूप में जो कि अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर के पक्ष में देय हो, दिनांक 13.08.2024 को प्रातः 11.00 बजे तक अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर के कार्यालय में भौतिक रूप से जमा करवाना आवश्यक है।

C. कार्यों का विवरण एवं निविदा की शर्तें

1. अतिथिगृह जोबनेर में ठहरने वाले अतिथियो एवं अतिथिगृह का रखरखाव करने हेतु ठेकेदारी पे चलाने की आपूर्ति में किये जाने वाले विविध कार्यो का विस्तारित विवरण प्रपत्र "र" में दिया गया है। निविदादाता को निविदा अनुसार प्रस्तावित कार्य श्रमिकों द्वारा प्रतिदिन करने होंगे।
2. सफल निविदादाता द्वारा कार्य पर लगाए गए श्रमिको की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
3. अगर ठेकेदार अपना कार्य निश्चित अवधि के बीच में छोडता है या कार्य संतोषजनक नही करने पर उसको इस कार्यालय द्वारा नियमानुसार इस ठेके से हटाया जाता है तो उसके द्वारा जमा कराई कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।
4. न्यूनतम दर के साथ निविदा की दरों की व्यवहारिकता उसके पंजीयन की प्रमाणिकता को भी ध्यान में रखा जावेगा।
5. दो या दो से अधिक निविदादाताओं के द्वारा दी गई कार्य दरों में अगर समानता होती है तो अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर द्वारा किया गया निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।
6. निविदादाता यदि कार्यो की महत्वता एवं गुणवत्तानुसार कार्य असंतोषजनक करता है एवं कार्य करने में असमर्थ रहता है या कार्य अधूरा छोडता है तो अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर को निविदा निरस्त करने का अधिकार होगा एवं निविदादाता की कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि भी जब्त कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
7. बिड़ प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभूति के अभाव में बिड़ पर विचार नहीं किया जाएगा एवं बिड़ अस्वीकृत कर दी जाएगी।
8. अन्य शर्तें एवं नियम RTPPA 2012, RTPPR 2013 एवं सामान्य वितीय एवं लेखा नियमों के अनुसार लागू होंगे।
9. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबन्ध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुवाआजा देने/ई.एस.आई करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा करवाने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
10. सफल निविदादाता को कार्य आदेश के प्राप्ति पर 07 दिन के अंदर इस निविदा में दिए गए कार्यों में लगे सभी श्रमिकों का ई.एस.आई/सामूहिक दुर्घटना बीमा करवा कर उसके प्रमाणपत्र की प्रति कार्यशाला प्रभारी के कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य होगा।

11. सफल निविदादाता को इस निविदा में दिए गए कार्यों को करने वाले हर श्रमिक की सम्पूर्ण जानकारी जैसे नाम, पता तथा फोन नंबर इस कार्यालय में देना अनिवार्य होगा।
12. श्रमिक की कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी संवेदक की होगी महाविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
13. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौपेंगा या भाड़े पर नही देगा।
14. बिड़ फार्म में किसी प्रकार की काँट छाँट व ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरह का संशोधन अस्वीकार्य होगा।
15. **अनुबंध एवं कार्य निश्पादन प्रतिभूति**

(अ) सफल बोलीदाता को कार्यादेश राशि के 5.0 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security) को डिमाण्ड ड्राफ्ट के जरिए अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर के नाम जमा करानी होगी। एम.एस.एम.ई. में पंजीकृत संस्थाओं को नियमानुसार छुट दी जावेगी। साथ ही सफल निविदादाता को महाविद्यालय के साथ कार्य सम्पादन के संबंध में नियमानुसार राशि के नॉन ज्यूडीशियल स्टॉम्प पेपर पर स्वंय के खर्चे पर करार (Agreement) भी करना होगा।

(ब) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भूगतान नहीं किया जायेगा।

16. निष्पादन प्रतिभूति समपहरण (Forfeiture of work performance security Deposit) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों में समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा।

(क) जब संविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।

(ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सेवा आपूर्ति संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(ग) जब बोलीदाता सेवा आपूर्ति आदेश के अनुसार निर्धारित आपूर्ति अवधि में सेवा की आपूर्ति आरम्भ करने में अवसर रहता हो। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जायेगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

दिनांक————————

स्थान ————————

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर मय
स्पष्ट नाम मय फर्म की रबड मोहर

अन्य शर्तें

I. निविदा का खोला जाना

निविदा प्रपत्रों को दिनांक 13.08.2024 को प्रातः 11.00 बजे तक कार्यालय अधिश्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर में जमा करवाना होगा। निविदा प्रपत्र को दिनांक 13.08.2024 को दोपहर 12.30 बजे निविदा समिति द्वारा एवं उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जाएगा।

II. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि

सफल निविदादाता को कार्यादेश राशि के 5.0 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security) को डिमाण्ड ड्राफ्ट के जरिए अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर के नाम जमा करानी होगी। यह कार्य सम्पादन प्रतिभूति निविदादाता द्वारा कार्यादेश में वांछित अवधि समाप्त होने पर तथा समस्त कार्य संतोषजनक पूर्ण करने पर ही लौटाई जा सकेगी अन्यथा की स्थिति में यह पूर्ण रूप से/आंशिक जब्त की जा सकेगी।

III. उत्तरदायित्व

सेवा सम्पादन के दौरान मैन पॉवर की किसी भी प्रकार की दुर्घटना या भारत/राजस्थान सरकार के प्रचलित किसी कानून/नियम/अधिनियम/उपनियम के उल्लंघन की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। सेवा हेतु रखे गए श्रमिक की समस्त प्रकार की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबन्ध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुवाआजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा करवाने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नही होगी। **सफल निविदादाता को कार्य आदेश के प्राप्ति पर ७ दिन के अंदर इस निविदा में दिए गए कार्यों में लगे सभी श्रमिकों का ई.एस.आई/सामूहिक दुर्घटना विमा करवा कर उसके प्रमाणपत्र की प्रति कार्यशाला प्रभारी के कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य होगा।** सफल निविदादाता को जिम्मेदार अधिकारी/व्यक्ति का नाम, पता व मोबाइल नम्बर उपलब्ध करवाना होगा ताकि कार्य सुचारू रूप से हो सके। सफल निविदादाता को इस निविदा में दिए गए कार्यों को करने वाले हर श्रमिक की सम्पूर्ण जानकारी जैसे नाम, पता तथा फोन नंबर इस कार्यालय में देना अनिवार्य होगा।

IV. निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने की शक्तियाँ

निविदा को बिना कारण बताए पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के सम्पूर्ण अधिकार अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर को होगें। यह अनिवार्य नही की असफल निविदादाता के साथ पत्र व्यवहार करें या उनके पत्र व्यवहार का जवाब दिया जाऐं। एक बार निविदा प्रस्तुत कर देने के पश्चात् वापस लेने का अधिकार किसी निविदादाता को

नही होगा। पर्याप्त बिड् सिक्यूरिटी, निविदा शुल्क के भौतिक रूप से प्राप्त करने के अभाव में निविदा फार्म रद्द कर दिए जाएगें। निविदा में प्राप्त दरें बातचीत/बिना बातचीत स्वीकार करने के पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगें जो निविदादाता के लिए बाध्यकारी होगें।

V. अनुमानित राशि का आंकलन

प्रपत्र "ब" में वर्णित कार्य संख्या अनुमानित है, जिसमें मौके पर कुछ परिवर्तन संभावित है। उक्तानुसार कार्य की अनुमानित लागत राशि रूपये 5.50 लाख प्रतिवर्ष है। संस्थान द्वारा आयकर स्त्रोत पर काटकर ही राशि का भुगतान किया जाएगा।

VI. दर संविदा अनुबंध की अवधि

दर संविदा की अवधि एक वर्ष के लिए होगी जो परस्पर सहमति सामान्य वित्तीय एंव लेखा नियम एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अनुसार 3 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है।

VII. अनुबन्ध

सफल निविदादाता को निर्धारित प्रारूप के अनुसार नियमानुसार निर्धारित राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर एक अनुबंध पत्र सम्पादित करना होगा जिसका व्यय निविदादाता को वहन करना होगा। दोनो पक्षो को उक्त अनुबंध पत्र की प्रत्येक शर्त का अक्षरक्षः पालन करना होगा। यदि निविदादाता उक्त शर्तों का उल्लघंन करता है तो अनुबंध पत्र किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जाएगा तथा उक्त कार्य अनुबंधकर्त्ता की Risk and Cost पर अन्य व्यक्ति से करा लिया जाएगा। यदि करार के पश्चात् चाहे गए कार्यों में किसी प्रकार की बढ़ोतरी/कमी होती है तो आनुपातिक आधार पर सेवाएँ बढाई/घटाई जा सकती है।

VIII. भुगतान की शर्तें

बिल का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा। सफल निविदादाता सेवा प्रदाता को प्रतिमाह संबंधित इकाई प्रभारी अधिकारी से सेवा संतोषजनक होने का प्रमाणीकरण करवाकर प्रत्येक माह की 3 तारीख तक बिल सबंधित विभाग/कार्यालय पर प्रस्तुत करने होगें जिसके आधार पर भुगतान किया जा सकेगा। उक्त सेवाओं के बदले महाविद्यालय द्वारा सेवाओं के संतोषजनक पाये जाने पर मासिक आधार पर भुगतान समेकित रूप से निविदादाता (सेवा प्रदाता) को RTGS/NEFT/चैक द्वारा किया जाएगा।

IX. भुगतान की जिम्मेदारी

निविदादाता (सेवा प्रदात्ता) को मासिक आधार पर सेवाओं के संतोषजनक होने पर महाविद्यालय भुगतान करेगा। अन्य किसी भी तरह की जिम्मेदारी से मुक्त होगा। वर्णित कार्यो के किए जाने वाले भुगतान तथा अन्य किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से मुक्त होगा।

X. मध्यस्थ

निविदा की किसी भी शर्त/शर्तों के संबंध में अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर का निर्णय अंतिम तथा मान्य होगा।

XI. कार्यादेश का निरस्तीकरण

अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर को किसी भी कार्यादेश को निरस्तीकरण पेटे बिना कोई भुगतान किए पूर्णतः/आंशिक रूप से निरस्तीकरण के सम्पूर्ण अधिकार होगें लेकिन यह मात्र असामान्य/विशेष परिस्थितियों में ही हो सकेगा।

XII. निविदा शर्तों की स्वीकारोक्ति

निविदादाता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निविदा भरते समय निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने लघु हस्ताक्षर करेगा जिससे यह माना जाएगा कि उसने प्रत्येक शर्त पढ़/समझ ली है तथा उसे/उन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार्य है। अहस्ताक्षरित निविदाएँ निरस्त की जा सकती है। भारत/राजस्थान सरकार द्वारा लागू किए गए किसी भी कर/लेवी की वसूली सफल निविदादाता के बिल से कटौती संस्थान द्वारा की जाएगी।

XIII. निविदा की अन्य शर्ते सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग–II के नियम 68 "खुली बिड़ के लिए बिड़ एवं संविदा की शर्ते एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013" के अनुसार लागू होंगी।

XIV. किसी राजकीय विभाग अथवा उपक्रम द्वारा ब्लेक लिस्टेड फर्म निविदा प्रस्तुत करने के लिए अपात्र मानी जाएगी। यदि ऐसी फर्म इस तथ्य को छिपाते हुए अपनी निविदा प्रस्तुत करती है तो उस फर्म की बोली प्रतिभूति (Bid Security)/कार्य सम्पांदन प्रतिभूति (Performance Security) जब्त करते हुए आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जाएगा।

XV. **वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार** – बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात्:

(क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा।

(ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा और यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई

विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

XVI. **सत्यनिष्ठा संहिता** – उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति, –

(क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।

(ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।

(ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा।

(घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरूपयोग नहीं करेगा।

(ड) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा।

(च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।

(छ) हित का विरोध,यदि कोई हो, प्रकट करेगा।

(ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।

XVII. **हित का विरोध** –

(1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।

(2) उन स्थितियों में, जिनमें उपापन संस्था या उसके कार्मिक हितों के विरोध में समझे जायेंगे, निम्नलिखित सम्मिलित है, किन्तु उन तक सीमित नहीं है :–

(क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजी हित,

जैसे कि बाह्य वृतिक या अन्य संबंध या व्यक्तिगत वित्तीय आस्तियां, उपापन पदाधिकारी के रूप में उसके वृतिक कृत्यों या बाध्यताओं का समुचित पालन करने में हस्तक्षेप करते हों या हस्तक्षेप करते हुए प्रतीत होते हों।

(ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत विनिधान और आस्तियां, राजनैतिक या अन्य बाह्य क्रिया कलाप ओर सम्बन्धताएं, उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियोजन या उपहार की प्राप्ति, जो उसे बाध्यता की स्थिति में रखता हो, हित में विरोध उत्पन्न कर सकेगा।

(ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की मानवीय, वित्तीय और भौतिक आस्तियों सहित आस्तियों का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पदीय कृत्यों से अर्जित ज्ञान का उपयोग या किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालना सम्मिलित है जिसका उपापन संस्था का कार्मिक पक्ष नहीं लेता है।

(घ) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है जंहा उपापन संस्था का कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कुटुम्ब, मित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका वह पक्ष लेता है, सहित किसी तृतीय पक्षकार को उपापन संस्था के कार्मिकों की कार्रवाईयों या विनिश्चय से फायदा पहुंचाते हुए देखा जाता है या उन्हें उसमें सम्मिलित करता है।

(3) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,–

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है।

(ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है।

(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।

(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव ड़ालने की स्थिति रखता हो।

(ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है।

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की

विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

XVIII. उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायतों का निस्तारण – प्रथम अपील प्राधिकारी माननीय कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी प्रमुख शासन सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर अथवा विश्वविद्यालय या राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकारी होगे।

1. **अपीलः**– (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अध्यधीन रहते हुए, यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी निर्देशों या मार्गदर्शन के उपबंधों के उल्लघंन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुए, ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से दस दिन की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व–अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्टीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिश्ट की जाये, के भीतर संलग्न प्रारूप **(प्रपत्र–'य')** में अपील दाखिल कर सकेगा।

परन्तु बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिससे उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है।

परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहाँ उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है वहाँ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

(2) उप–धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप–धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नहीं, और तद्नुसार आदेश

पारित करेगा जो उप–धारा (5) के अधीन पारित आदेश के अध्यधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(3) अधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

(4) यदि उप–धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकरी उप–धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उप–धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप–धारा (2) के अधीन पारित आदेश से व्यथित है तो बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या, यथास्थिति, उपापन संस्था, उप–धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, उप–धारा (2) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित पदाभिहित किसी अधिकरी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।

(5) उप–धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप–धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों , बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धनों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकरों पर बाध्यकारी होगा।

(6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप–धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, यथा–सम्भव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर–भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा।

परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

(7) अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों , बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों में उपदर्शित किया जाएगा।

(8) उप–धारा (1) और (4) के अधीन प्रात्येक अपील ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से दाखिल होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाएँ।

(9) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया–नियमों का अनुसरण करेगा जो विहित किए जाएँ।

(10) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आव यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का ह्रास करेगी या जो विधि के प्रवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अड़चन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन संस्था के विधि सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जाएगी।

2. अपील का प्रारूप –

(1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 की उप–धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्ररूप **(प्रपत्र –'य')** में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।

(2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

3. अपील फाइल करने के लिए फीस –

(1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

(2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

4. अपील के निपटारे की प्रक्रिया –

(1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,–

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा।

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी

करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

XIX. यदि वाद उत्पन्न होने कि स्थिति बनती है तो उस स्थिति में न्यायालय क्षेत्र, जयपुर (राजस्थान) होगा।

अधिष्ठाता

मैंने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तो का सावधानी पूर्वक परिशीलन कर लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त सभी शर्तो से प्रतिबन्धित रहूँगा/रहेंगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

प्रपत्र –'स'

वार्षिक टर्न ओवर प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि फर्म मैसर्स ..... का विगत तीन वित्तीय वर्षो का टर्न ओवर निम्नानुसार है। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रमाण पत्र सत्य व सही है।

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	टर्न ओवर (राशि रू.लाखों में)
1	2021–22	
2	2022–23	
3	2023–24	
	कुल टर्न ओवर	
	औसत टर्न ओवर	

दिनांक :

अंकेक्षक/सनदी लेखाकार का

नाम मय हस्ताक्षर एवं पंजीकरण संख्या

प्रपत्र –'द'

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने सेवा ईकाई की जहां कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षो में आपूर्तित सेवा इकाईयों के संतोषप्रद कार्य नहीं करने/ होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते है कि हमारा किसी भी न्यायालय में सेवा प्रदायगी का कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

प्रपत्र "य"

FORM NO. 1: (See rule 83 of RTPP)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No..... of .....

Before the ..... (First/Second Appellant Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant
   (ii) Official Address, if any
   (iii) Residential address
2. Name and address of the respondent (s):
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (endorse copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the Appellant is aggrieved.
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative.
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal.
6. Ground of appeal
   .....
   .....
   .....
   .....
   ..... (Supported by an affidavit)
7. Prayer
   .....
   .....
   .....
   .....

Place .....
Date .....

.....
Appellant's Signature

प्रपत्र –'र'

अतिथिगृह जोबनेर में ठहरने वाले अतिथियो एवं अतिथिगृह का रखरखाव करने हेतु कार्यों का विवरण

अनु. क्र.	अतिथिगृह	कार्य
1	अतिथिगृह जोबनेर में ठहरने वाले अतिथियो एवं अतिथिगृह का रखरखाव करने हेतु ।	• 24 घंटे निगरानी करना। • अतिथिगृह जोबनेर में ठहरने वाले अतिथियो एवं अतिथिगृह का रखरखाव करना होगा। • अतिथिगृह जोबनेर में पेड़ पौधो की देखभाल का कार्य करना होगा।
• समय समय पर अतिथिगृह प्रभारी को सम्पूर्ण जानकारी देना होगा।		

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर एवं पूर्ण पता

वित्तीय निविदा

क्र.सं.	कार्य	GST (%)	सेवाप्रदाता ऐजेंसी/फर्म द्वारा दी जाने वाली दरें GST सहित (रुपये)
1.	प्रपत्र 'र' के अनुसार अतिथिगृह जोबनेर में ठहरने वाले अतिथियो एवं अतिथिगृह का रखरखाव करने का प्रति महीने का चार्ज • 24 घंटे निगरानी करना। • अतिथिगृह जोबनेर में ठहरने वाले अतिथियो एवं अतिथिगृह का रखरखाव करना होगा। • अतिथिगृह जोबनेर में पेड़ पौधो की देखभाल का कार्य करना होगा।		

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर एवं पूर्ण पता